उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या– 11/2019

जगलाल गंझु वगै0 बनाम् राजेश कुशवाहा वगै0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
10-01-2020	<u>–: आदेश :–</u> अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख तथा अभिलेख में संलग्न कागजतों का अवलोकन किया। भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील वाद संख्या– 07/2014–15 जग्गल गंझु वगै0 बनाम् राजेश कुशवाहा एवं अन्य में दिनांक 30.01.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S-16 Jharkhand Tenants Holding (Maintenance Of Record) Act. 1973 के तहत् रिविजन अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में दायर किया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दायर रिविजन वाद में विवादित् भूमि मौजा–दोहाकातु, थाना नं0–100, थाना– रामगढ़ अर्न्तगत खाता नं0–65, प्लॉट नं0–1211, रकबा–1.75 एकड़ एवं खाता नं0–62, प्लॉट नं0–1210, रकबा–1.60 एकड़ कुल जमा रकबा–3.35 एक भूमि से संबंधित अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज के विरूद्ध निम्न न्यायालय में दायर अपील वाद संख्या– 07/2014–15 जग्गल गंझु वगै0 बनाम् राजेश कुशवाहा एवं अन्य सुनवाई हेतु लंबित है। उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय में दायर अपील वाद में सुनवाई अन्तराल के मध्य अधोहस्ताक्षरी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के रिविजन आवेदन पर सुनवाई किया जाना विधि संगत् प्रतित् नहीं होता है। अतः अपीलार्थी द्वारा दायर रिविजन आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख विधिवत् सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु वापस भेजें। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित **उपायुक्त,** रामगढ़। 10/01/2020 **उपायुक्त,** रामगढ़।	98/विवि 25/01/2020